

खण्ड नं० 53, 107 चिन्ता-2 कुल रक्बा
1.68 है. तन ग्राम मलिकपुर में प्रतिवादी
स०1 के नाम पर हिल्ला व भूमि खण्ड
51 व 56 चिन्ता-2 कुल रक्बा 7.18 है
वादिमा न०1 चन्दकोरी कोई हिल्ला नहीं
चाहती है। अतः उक्त भूमि का वादीगण
स०2 या प व प्रतिवादी स०1 को बहिल्ला
कराकर-कराकर खारेज करतकर घोषित
चिन्ता जावे। बहम सुमी गभी वास्तु निर्णय
मिलान दिनांक 3/1/20 को पेस है।

3/1/20

पत्रावली वास्तु निर्णय पेस हुई बहम
वकील वादीगण पर बरगौर गन न किना
पत्रावली व पत्रावली पर उपस्थित राक्ष
विकार का अवलोकन किया गया तथा
पक्षकारान से गद्य पेश सुडा राक्षीनाम
का अवलोकन किया। प्रतिवादी स०1
गोपाल उर्फ राम गोपाल ने वाद ग्रस्त
भूमि को वादीगण व प्रतिवादी स०1 के
नाम बहिल्ला कराकर-कराकर भूमि नाम
किया जाने का शर्तीनामा पेस किया है
लेकिन वाद में वादिमा स०1 चन्दकोरी
ने वाद ग्रस्त भूमि के कोई हिल्ला नहीं
लेने का प्रार्थना पत्र पेश किया है जो
वादिमा स०1 भूमि नहीं चाहते ही हद तक



उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला
उनवान वनाम

किस्म मुकदमा मुकदमा नं.

तारीख हुकम हुकम या कार्यवाही मय लघु हरताक्षर जज



स्वीकार योग्य पाये जाने पर स्वीकार
किया जाता है तथा प्रयत्न गत भूमि को
खातेदारी वाकीगण खण्डेला व प्रतिवादी
खण्डेला के नाम कब्रिस्तान कराकर - कटाकर
जाने की हद तक स्वीकार योग्य पाये
जाने पर स्वीकार किया जाकर डिप्टी रजि
स्ट्रार करमाया जाता है कि:-

भाषिका

तन ग्राम मलिकपुर तहसील खण्डेला
जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित भूमि
खण्डेला नं 53, 107 कुल किता-2 कुल
रकबा 1.68 हठ में प्रतिवादी खण्डेला के नाम
दजी हिस्सा 1/4 व भूमि खण्डेला नं 51, 56
किता-2 कुल रकबा 7.18 हठ में प्रतिवादी
खण्डेला के नाम दजी खातेदारी को हजफ
किया जाकर उसके स्थान पर वाकीगण
2 ता 4 व प्रतिवादी खण्डेला को कब्रिस्तान
कराकर कराकर खातेदार काश्तकार घोषित
किया जाता है। इसी अनुसार खातेदारी
बादाव रिपोर्ट में डायमंड डायमंड हो स्वी
कृति डिप्टी जमी हो। पत्रावली के माध्यम से
होकर नमूने के फल हो।

(Signature)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाक्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खण्डेला मुकाम खण्डेला
बड़जलास श्री रणजीत सिंह (आर.ए.एस)

- ① चन्दकरी पत्नी गोपाल उर्फ रामगोपाल
② शंकर सिंह ③ राजेन्द्र कुमार ④ इन्द्रजतिहं पुरुषोत्तम

बनाम

- ① गोपाल उर्फ रामगोपाल पुत्र नारायण जाति जाट ठिकारी
ग्राम मलिकपुर तहसील खण्डेला जिला सीकर (बाण)
② अमिषी बहमीन्दार खण्डेला जिला सीकर (बाण) (प्रतिवादी)
दावा बाबत घोषणा एवं स्थापना निवेदन

मुकदमा नं० 198 सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री रणजीत सिंह आर.ए.एस व हाजिरी श्री इ.ए.एस. गणेशिन्द्र एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु श्री..... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि तत्र ग्राम मलिकपुर तहसील खण्डेला जिला सीकर बाण में प्रविष्टि अर्जी ख० नं० 53,107 कुल ख० 1.68 ई० में प्रतिवादी ख० 1 के नाम दर्ज हिस्सा 1 व 2 की ख० 51,52 कि०-2 कुल ख० 7.18 ई० में प्रतिवादी ख० 1 के नाम दर्ज खातेदारी के इफ्त किन्ना जाकर उनके खाते पर पाकी ख० 2 व 4 व प्रतिवादी ख० 1 के इहिस्सा

बराबर - बराबर खातेदार वास्तुवा घोषित डिफर आता है इसी अउलाद खातेदारी बाण सिर्फ के अन्तर्गत है।
निज मुबलिये बाबत खर्चा

इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करें।

बसवा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03 माह 01 सन 2020 को जारी की गई।

दस्तखत.....
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

मुहर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुताफरिक		
मुताफरिक					
मीजान			मीजान		

* गोपाल उर्फ रामगोपाल

जारी आर निवासी ग्राम ~~खण्डेला~~ मलिकपुर तहसील
खण्डेला जिला सीकर राजस्थान

(वादीगण)

३१.१०.२०
(रणजीत सिंह)

AMS
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)